

—अडसठ—

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या क0नि0-5-2490 / 11-2005-500(87)-2001
लखनऊ, दिनांक 30 मई, 2005
अधिसूचना
आदेश

प0आ0-254

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 27, 47क और 75 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राजयपाल उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान उपखण्ड		स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड	
(दो) वाणिज्यिक 4 के भवन न्यूनतम	भूमि का न्यूनतम मूल्य चाहे निर्माण से आच्छादित हो या नहीं जो खण्ड (क) के अधीन लिखत की विषय वस्तु के अनुसार निकाला जायेगा और	(दो) वाणिज्यिक भवन	एतद्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड नियम अधीन जिले के कलेक्टर द्वारा नियत किराए के साथ भवन के प्रत्येक
मंजिल के संगणित	नियम 4 के अधीन जिले के कलेक्टर द्वारा नियत न्यूनतम किराए के साथ भवन के प्रत्येक मंजिल		निर्मित क्षेत्र का गुणा करके, भवन के न्यूनतम मासिक किराएका तीन सौ
गुना होगा, निकाला	के निर्मित क्षेत्र को गुणा करके, भवन के तय पाये गये न्यूनतम मासिक किराए का तीन सौ गुना होगा, का जोड़।		जो लिखत की विषयवस्तु के अनुसार जाएगा।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
अतुल चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N. 5-2490/XI-2005-500(87)-2001, dated May 30. 2005 for general information.

**No. K.N.5-2490/XI-2005-500(87)-2001
Lucknow, Dated May 30, 2005**

In exercise of the powers under sections 27, 47-A and 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make, the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Stamp (Valuation of Property) Rules, 1997.

**UTTAR PRADESH STAMP (VALUATION OF PROPERTY)
(FIRST AMENDMENT) RULES. 2005**
Notification

1. (1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Stamp (Valuation of Property) (First Amendment) Rules, 2005.(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. In rule 5 of the Uttar Pradesh Stamp (Valuation of Property) Rules, 1997 for sub-clause (ii) of clause (c) set out in column-I below, the sub-clause as set out in column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-1 Existing sub-clause	COLUMN-2 Sub-clause as hereby substituted
Commercial the minimum building building, which is instrument, multiplying the con floor of the build rent fixed by district under	Commercial (ii) Three hun dred times monthly rent of the the subject matter of the calculated by structed area or each ing with the minimum the Collector of the rule 4.
(ii) Minimum value or land whether covered by the construction or not, which is the subject matter of the instrument, as worked out under clause (a) plus three hundred times the minimum monthly rent of the building arrived at by multiplying the constructed area of each floor of the building with the minimum rent fixed by the Collector of the district under rule 4.	

By order,
Sd/-Illegible
ATUL CHATURVEDI,
Pramukh Sachiv.